श्री पन्ना लाल बारूपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित कर रहा हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Omission of Article* 370)

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P. M. MEHTA : I introduce the Bill.

COMPULSORY MILITARY TRAINING SCHEME BILL*

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory military training to all able-bodied citizens in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory military training to all able-bodied citizens in the country."

The motion was adopted.

SHRI P. M. MEHTA : I introduce the Bill.

15.32 hrs.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Substitution of Section 153A by Shrimati Subhadra Joshi*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Subhadra Joshi on the 30th March, 1972 :—

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, be taken into consideration."

Two hours and 30 minutes were allotted. We have taken one hour and 26 minutes, and the balance is one hour and four minutes. Shri Darbara Singh to continue his speech.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मै अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि इसके जरिये हम कम से कम यह बात कर सकते है कि जितनी फीलिंग्स नफ़रत की, जिसको हैट्रिड कहते है, पैदा की जाती है, वे इससे कम होगीं। आज कई लोग गलत तौर पर रिलिजन का नाम ले कर, धर्म का वास्ता डाल कर तमाम पालिटीकल ताकत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। मै सिर्फ पंजाब की ही बात नही करता और सूबो मे भी ऐसी बातें हैं कि वे किस तरह से नीचे तक चले जाते है, इतनी सतह तक चले जाते है कि ब्राह्मण ब्राह्मण मे कैसे लड़ाई हो, जाट और राजपूत में कैसे लड़ाई हो सकती है। उसके लिए भी एक सवाल हमारे सामने है कि वह नफ़रत कैसे पैदा करके जात-बिरादरी के नाम पर, रिलिजन के नाम पर एक ऐसी स्ट्रगल करा देते है जिससे तमाम देश भर में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई भी एक दूसरे के पास प्यार से बैठ न सके और जो एक आइडिया हम देते हैं कि सारा देश एक है, वैसा देश कभी न बनने पाये। यह एक बहुत बुरी बात है जिसका

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 14.4.72.

[श्री दरबारा सिंह]

कही न कही निदान करना होगा और अगर हमने इसको नही किया तो लाजमी तौर पर हिन्दुस्तान मे लोग बट जायेगे।

हमने जबान के नाम पर स्टेट्स बनते देखे हैं और जबान के नाम पर स्टेट्स बनाने वाले आज यह कहते है कि हमने बहुत बुरी बात की है। ऐसा हम नही करना चाहिए था। जबान जबान को काटन के लिए नही बनाई गई है बल्कि एक जबान दूसरी जबान को अमीर बनाने के लिए बनाई गई है। एक जबान दूसरी जबान मे दाखिल हो जाए तो वह जबान अमीर हो जायगी। गरीब जबान उस वक्त बनती है जबकि उसके दायरे को तंग करके हम सीमित कर देते है। जब छोटे छोटे सूबे बनाये गय, उस समय भी मै हमेशा उनकी मुखालफत करता रहा हू और आज उसके नतीजे हमारे सामने है। जहा कही वे बनाय गये है वे किसी एक ख्वाहिश को मद्देनजर रख कर बनाये गये है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हुए है जिनमे मैं नही जाना चाहता, लेकिन यह भी देखने मे आया है कि जहा पर ये बन गये है वहा का डेवलपमेंट भी रुकता है और देश की एकेनामिक हालत भी अगर खराब होती है ता वह भी ये लोग करने वाले है जो कि धर्म के नाम पर और रिलिजन के नाम पर बाते करते है। जो लोग ऐसी बाते करते है शायद रिलिजन का पता उनको न हो, उनको इसकी पूरी वाकफियत न हो कि हमारा रिलिजन क्या हैं, क्या उसका बेसिस है और क्या उनको करना चाहिए। धर्म सबका एक ही है और एक ही सी बाते सबमे है। उसमे चन्द एक बाते है जोकि इकट्ठी है। कही धर्म के न मानने वाले भी है लेकिन इसका यह मतलब तो नही है कि हम उनका गला काटने वाले हो। लेकिन एक बात जो कि एक रिलिजन के बारे मे यह कहते हैं कि चूंकि हम फला धर्म के लोग है, इसलिए हमारी जो आर्थिक अवस्था है, हमारी जो एकेनामिक कन्डीशन्स हैं वे ऐसी हानी चाहिए? ये दो चीजे कान्ट्राडिक्टरी है और एक दूसरे को काटती है। इसलिए इसको रोकने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम कोई मूवमेंट हिन्दुस्तान भर मे इस बात के लिए लाएं कि लोगो को रोटी, कपडा और मकान मिलना चाहिए। यह बात तो समझ मे आती है लेकिन यह समझ मे नही आता हैं कि हम छोटे मे दायरे मे बैठ कर रिलिजन के नाम पर सारी बात करे और यह कहे कि हमारा जो अधिकार हो वह दूसरो से ज्यादा हो, खास किस्म के लोगो के अधिकार दूसरो से ज्यादा हो। यह हासिल करने के लिए जो नामाकूल तरीके इस्तेमाल किय जाते है उनको रोकने का और कोई ढग नही है कि इस पर प्रतिबध लगना चाहिए। इस स्थिति को काबू करने के लिए यही एक तरीका है। यह बीमारी बहुत फैल गई है और मैं यह कहता हूं कि 20, 25 साल से यह बीमारी है और मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह नीचे जा रही है। यह इतनी छिपी हुई हैं कि इसकी जडे काट कर ऊपर लाने की जरूरत है। ऊपर से ऊपर काटने से कुछ नही बनेगा। इसे नीचे स काटनी पडेगी और नीचे मे काटन के लिए इसकी सजा रखनी बहुत जरूरी है। (व्यवधान) काट देगे तो सूख जायगी और सूख जाने के बाद इसकी जडो को आप के सुपुर्द कर दिया जायगा ताकि आयन्दा के लिए यह बीमारी पैदा न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब इस क्लाज मे जो एमेडमेट रखी गई है वह सिर्फ इतनी है कि कोई भी अगर यह रिप्रेजेन्टेशन करता है या कोई भी यह कहता है कि मेरी जात-बिरादरी वालो को ये ये चीजे महुय्या हों या यह कहे और इस बात की कोशिश करे कि चूंकि मेरा धर्म यह है इस लिए मुझे ये ये चीजें मिलनी चाहिए, ऐसी बाते नही होनी चाहिए। हमारी जबान यह है, इसलिए हम देश से अल्हदा होना चाहते हैं, यह डी० एम० के० के एक साहब कहते रहे है, सीधे नही कहा है लपेट कर कहते हैं। एक साहब ने शिष्टाभाव मे कहा कि डी० एम० के० वालों का

यह प्रोग्राम नहीं है कि वह हिन्दुस्तान से अलहदा हो जाएं, उनका हिन्दुस्तान से समेशन हो जाए लेकिन उनका कहना यह है कि हम एक ढंग से जो काम करते हैं उस ढंग से हमें करने दिया जाना चाहिए और सरकार-ए-हिन्द जो तमाम ताकतें अपने पास रखे हुए है, उसमें हमें लेटीट्यूड दे देना चाहिए, इतना लेटीट्यूड देना चाहिए ताकि डी० एम० के० सरकार अपने ढंग से काम कर सके। वे अपनी सरकार में ही सेन्टर की सरकार को समझ रहे है। मेरा कहना यह है कि एक खित्ते के लिए या एक रिलिजन के नाम पर या एक खारा कास्ट के लिए जो ऐसी बातें होती है, ये बातें हिन्दुस्तान की वाहदत को, हिन्दुस्तान की नेशनेलिटी को और हिन्दुस्तान के हालात को दुरुस्त करने के लिए नहीं है। यहा हम ने हलफ दिया है कि हम यहां सोशेलिज्म कायम करके, समाजवाद कायम करके लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, औलाद को तालीम और बुढापे में लोगो को पेंशन का इन्तजाम करेंगे और जहां तक हमारी कोशिश है हमें बेकारी को भी दूर करना है। तो इन सब चीजो को करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हमारे रास्ते में जो रुकावटें डालते है उन रुकावटो को दूर किया जाए और उन रुकावटों को दूर करने के लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, यह निहायत जरूरी है कि ऐसी बातों पर पाबन्दी लगा दी जाए ताकि यह बीमारी आगे फैल न सके। यहां काश्मीर वाले हमारे दोस्तो ने आपको बताया है कि वहां कैसे हालात है, वहा पर लोगों को कैसे प्रोवोक किया जाता है रिलिजन के नाम पर। यह भी कहा जाता है कि पंजाब मे क्या ऐसा नही किया जाता है? वहां भी ऐसी बातें हो रही है और दूसरे सूबो मे भी हो रही है और जात-बिरादरी के नाम पर ये सब बातें की जा रही हैं। मै श्रीमती सुभद्रा जोशी को मुबारकबाद देता हूँ कि वे इस हाउस के नोटिस में ये बातें लाईं और इस बात की कोशिश होनी चाहिए जिससे हम इस पर काबू पा सकें। आज आप इनकी बात को मानेंगे और कल इसी बात को मान जायेंगे।

इन अल्फाज के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहब, सुभद्रा जोशी जी ने जो बिल रखा है, उसकी पुरजोर शब्दों मे ताइद करता हूँ। इन्होंने जो यह बिल पेश किया है यह सारी कम्युनिटीज के लिए, हिन्दुस्तान की जो नेशन है उसकी आर्थिक अवस्था को दुरुस्त करने के लिए, हमें यह बात सोचनी होगी कि जिन बातों के कारण हमारा देश टूटता है या लोग बजाय इसके कि इस बात की कोशिश करें कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, वे लोगो को रिलिजन का गलत वास्ता दे कर उनको एक्सप्लायट करते है और देश भर मे फ्यूडलइज्म या दूसरी ऐसी चीजें जो हैं कायम करते है, उनके लिए हम कुछ पाबन्दी लगाएं।

मैं आप का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे समय दिया लेकिन मै अर्ज करता हूँ कि इस बिल की शकल अगर बहुत दुरुस्त न हो, तो आप इसको दुरुस्त करले लेकिन इसका जो मुद्दा है वह किसी तरह से आना चाहिए जिससे उन लोगों को कुछ डर हो और जो लोग गडबड करने वाले है, जाति के नाम पर जो ऐसी चीजे करते हैं, जो दूसरों से नफरत करते है और जो एक रिलिजन वाले दूसरे रिलिजन के लोगों को नाकारा और बेहूदा समझते है और उनको यहा नही रहने देना चाहते, उनको काबू मे लाने की निहायत जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मै इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर). उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसके लिये श्रीमती सुभद्रा जोशी धन्यवाद की पात्र हैं। यह प्रश्न आज एक संशोधन के रूप में हमारे सामने आया है कि मजहब अथवा सम्प्रदाय के आधार पर किसी की राष्ट्रीयता को अगर चुनौती दी जाये, किसी की नागरिकता को अगर चुनौती दी जाये, तो वह हमारे देश में जुर्म माना जाय, गैर-कानूनी माना जाये तथा इस आधार पर जो व्यायाम या हथियारबन्द अथवा दूसरे किस्म से अर्द्ध सैनिक प्रशिक्षण का

[श्री भोगेन्द्र झा]

कार्य करे उसको गैर-कानूनी करार दिया जाये। यह बात अगर इक्का दुक्की होती तो इसकी इतनी आवश्यकता नही थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बडे सगठित आधार पर हमारे देश मे यह प्रयास चलता रहा है कि देश की सम्मिलित राष्ट्रीयता को चुनौती दी जाये और इस विचार का एक दौर यहाँ पर कारगर भी हो गया। हमारी राष्ट्रीयता खंडित की गई साम्प्रदायिक आधार पर और आजादी हासिल करने के साथ ही यह दाग हम पर लगा रह गया कि हमारी राष्ट्रीयता ही नही मजहब के नाम पर, साम्प्रदाय के नाम पर हमारी मातृभूमि का विभाजन हो गया। उस के बाद से इस विचार को और ज्यादा पुष्ट करने का प्रयास होता रहा है और उसको भारतीय सस्कृति का नाम देकर भारतीयता को कलकित किया जाता रहा है।

हमारी भारतीय सस्कृति मे जो कुछ विशेषता है उसमे बहुत बडी विशेषता यह है कि धार्मिक विश्वास के लिये, आस्था के लिये बल प्रयोग भारतीय सभ्यता और सस्कृति की स्वीकृत धारा मे, स्वीकृत मापदण्ड मे वर्जित है। हम सभी जानते है कि हमारे दर्शनो मे, चाहे वह साख्य के हो या मीमासा के हो अथवा वैशेषिक हो, खासकर न्याय के बहस करने वालो मे भी कोई यह कहता है कि गाड की कोई हस्ती ही नही है, दूसरे कहते हैं कि आप का विचार गलत है, और उनको भी महर्षि कहते है। बुद्ध देव ने उस हस्ती को जिस को गाड कहते है हिला दिया। चूंकि ईश्वर के दूसरे माने होते है इसलिये मै ईश्वर नही कहता, ईश्वर के माने श्रेष्ठ होते हैं, भगवान वही होते, गाड नही होते। बुद्ध देव ने पूरे भारत मे उस गाड मे विश्वास को हिला दिया, जाति पाति पर विभाजन को मिटा दिया। मगर कहीं छुरा नही चला, कही चाकू नही चला, कही लाठी नहीं चली। लाठी छुरे से कहीं भी प्रशिक्षण नही हुआ, कही भी किसी की गर्दन नहीं कटी। सारे भारत मे इतना बडा परिवर्तन हुआ, लेकिन वह बहस से हुआ, शास्त्रार्थ से हुआ। हजार साल बाद शकराचार्य ने फिर बहस की। केरल से ले कर हिमालय तक पूरी बहस हुई। सम्पूर्ण भारत मे बौद्ध धर्म मे विश्वास को हिला दिया गया। उस को हिला देने के बाद लोगो ने उससे पूछा कि आप की मजी हुई भावना क्या है, आपकी राय क्या है? उन्होने कहा कि यह नास्तिक धर्म है। उनसे पूछा गया कि बुद्ध देव के बारे मे आप का क्या खयाल है, तो कहा कि वह भगवान है। जयदेव ने गा दिया "केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे।" बुद्ध देव को उन्होने अवतार मान लिया भगवान का उस बुद्ध देव को जिसने भगवान की हस्ती को ही नही माना।

यह भारतीय संस्कृति की परम्परा है कि एक ही परिवार मे एक आदमी कहता है कि हम मछली खायेगे तो नर्क मे जायेगे और दूसरा आदमी कहता हैं कि अभी ही नही, मरने के बाद भी श्राद्ध मे मछली देना क्योकि स्वर्ग मे मछली नही मिलती, यहा से जायेगी। दोनो ही एक परिवार के है, लेकिन छुरा नही चलता, लाठी नही चलती। न वहा छुरा चला कर किसी की कण्ठी को तोडते है न किसी को कण्ठी की बाधते है। यह भारतीय संस्कृति का प्राण है। यह भी एक कारण है कि हमारी सस्कृति मे इतना टिकाऊपन है। इसके विपरीत एक अभारतीय मनोवृत्ति हमारे देश मे पैदा की गई और वह भारतीयता विरोधी मनोवृत्ति उसने पैदा की जिसने छुरा और हन्टर के प्रशिक्षण के आधार पर, असहिष्णुता के आधार पर एक तरफ राष्ट्रीयता को चुनौती दी और दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीयता को बलपूर्वक कुंठित करने की कोशिश की जिससे हमारी मातृभूमि भी खंडित हुई और उसके बाद भी सन्तोष नही किया जा रहा है, आज भी उसका प्रयास चल रहा है।

आप देखिये कि यह खतरा कितना संगीन है। अगर खुल कर राजनीतिक दल के नाम पर यह होता तो आम जनता उसका राजनीतिक

जबाव दे सकती थी, वोटों के जरिये फैसला कर सकती थी। पिछले दिन श्री वाजपेयी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है। हम सभी समझते हैं कि जो राजनीतिक दल गलत धारणा ले कर आये, खुल कर आये इन पर कानूनी रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर वह प्रचार करे, प्रसार करे तो उसका जनतांत्रिक जबाव दिया जा सकता है, लेकिन जो लोग राजनीतिक दल के नाम पर नहीं अतः जिन का राजनीति के साथ खुला ताल्लुक नहीं, जो अपने विचार को जनता की स्वीकृति के लिये या अस्वीकृति के लिये रखना न चाहे, छुरा हंटर का प्रशिक्षण दे और राष्ट्रीयता को खंडित करे, उसके विचार का कानूनी इलाज करने की जरूरत है क्योंकि जनता खुल कर उस का जनतांत्रिक इलाज करे यह संभव नहीं है, और ऐसी मनोवृत्ति हमारे देश में बड़े खतरनाक तरीके से पनप रही है। मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम इस मनोवृत्ति को अभी नहीं रोकते तो हजारों युवकों को इसके नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और ऐसा करके हमारी राष्ट्रीयता को जो भी चुनौती दी जा रही है, मैं चाहता हूँ कि जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह उस पर ध्यान दें।

मैं यहां पर श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवल्कर के उद्धरण दे रहा हूँ। यह उन भाषणों के उद्धरण हैं जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ के प्रशिक्षण केन्द्रों में दिये हैं, वे आम सभा के भाषण नहीं हैं। यह किताब भी, जिसका नाम 'बंच आफ थाट्स' है, उन्हीं लोगों के द्वारा छपाई गई है, दूसरे लोगों ने नहीं छापी है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस पूरी किताब में यह स्थापना की है कि राष्ट्रीयता भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय नहीं है। उन्होंने "टेरिटोरियल नेशनेलिज्म" पर चोट की है और स्वयम् कम्यूनल नेशनेलिज्म की स्थापना की है। और इस तरह से उन्होंने हमारे पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को चुनौती दी है और आज भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में वह कहते है :

> "But the invaders who came during the last ten or twelve centuries could not be driven out. They could not be absorbed either. They remained a separate entity and ruled as foreigners in this land."

यह वह मुसलिमों के बारे में कह रहे है। इसी लिये वह इस नतीजे पर आते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उनके ऊपर भी उन्होंने चोट की हैं। वह कहते हैं।

> "They forgot that here was already a full-fledged ancient nation of the Hindus and the various communities which were living in the country were here either as guests, the Jews and Parsis, or as invaders, the Muslims and Christians."

जो हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन था उसके नेताओं के ऊपर चोट कर रहे हैं कि पारसी, यहूदी वगैरह हमारे मेहमान हैं।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : जिसमें से माननीय सदस्य कोट कर रहे हैं उसको बैन कर देना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : वह बैन हुई नहीं है, उसको बैन करने के लिये ही तो कहा जा रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा :

> "They never faced the question how all such heterogeneous groups could be called as children of the soil merely because, by an accident, they happened to reside in a common territory under the rule of a common enemy."

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो हमारी राष्ट्रीयता बनी है उस पर वह कहते हैं कि चूंकि ब्रिटिश ने हमको गुलाम बनाया इसलिए कैसे यह लोग इस धरती के सन्तान गिने जायेंगे ?

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : हिंदू के माने क्या हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा : उनके जो माने श्री गोलवल्कर जी कह गय है वह यह है कि इसमे पारसी नही है, क्रिश्चियन नही है, यहूदी नही है। वह इसी पुस्तक मे कहते हैं

> 'The theories of territorial nationalism and of common danger, which formed the basis for our concept of nation, had deprived us of the positive and inspiring content of our real Hindu Nationhood and made many of the 'freedom movements' virtually anti-British movements"

जिन्होने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संरक्षण का काम उस वक्त किया, उनके खिलाफ संघर्ष मे नही उतरे, आज वे पूरे आन्दोलन को ही कहते है कि वह केवल ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन रह गया था।

फिर आगे चल कर वह कहते हैं

> "Anti-Britishism was equated with patriotism and nationalism This reactionary view has had disastrous effects upon the entire course of the freedom struggle, its leaders and the common people"

यहा पूरी राष्ट्रीयता को ही चुनौती नही दी गई है बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास को भी चुनौती दी गई है, राष्ट्रीयता की विचारधारा को भी चुनौती दी गई है कि हमारी राष्ट्रीयता क्षेत्रीय नही, टैरिटोरियल नही। उस अवस्था मे मै पूछना चाहता हूँ जो इस राष्ट्र मे आन्दोलन करेगा भारतीय, इसमे कौन होगे ! क्या जनेऊ पहनने वाले जंजीबार मे जो हैं वे आ जाएंगे ? जो इस तरह की चीज को गलत समझते है वे खुल कर सामने आएं और जैसा शशि भूषण जी ने कहा है इस किताब पर बैन लगाने की आवाज उठाएं। दोनो बातें साथ-साथ नही चल सकती है। यह भारतीय राष्ट्रीयता और क्षेत्रीय राष्ट्रीयता पर चुनौती है। दोनो बाते साथ-साथ नही चल सकती हैं (व्यवधान) भारतीय राष्ट्रीयता का जो मूल स्रोत है "वसुधैव कुटुम्बकम" है। इसको महात्मा बुद्ध ने हम लोगो को सिखाया और लोगो ने सिखाया। इसी रास्ते पर हमे दुनिया को भी लाना है। हमने बंगला देश मे इसको व्यवहार मे ला कर, इसका पालन करके दिखा दिया है। हमारी राष्ट्रीयता सीमित नही है, संकुचित नही है (व्यवधान) चाऊ-माओ सुधरें, वह नारा भी लग सकता है। जब वे सुधर जायेंगे तब उनसे हमारी कोई दुश्मनी नही होगी। हमारा विरोध इसीलिए है कि वे पथभ्रष्ट हो गए है।

श्री राम सहाय पांडेय (राजनन्द गाव) : ये सुधर जाएं तो ?

श्री भोगेन्द्र झा : इन जनसंघी सज्जनो को सुधारने के लिए तो हम कह रहे है।

जब गलत विचारधारा होती है तब खतरे की बात नही होती लेकिन खतरे की बात यह है कि ये बाते जनसघ की सभा मे नही कही गई है जिस को चुनाव मे लोग ठुकरा सकते है लेकिन ये बाते राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ के प्रशिक्षण केन्द्रो मे कही गई है जहा चुनाव की परम्परा नही है, जहा कोई दूसरी राय दी नही जा सकती है जहा हंटर और छुरे का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ मे रहे है उनसे मेरा आग्रह है कि हो सकता है कि बचपन मे वे उसमे रहे हो और बचपन मे बहक भी आदमी आसानी से जाता है लेकिन अब वे बालिग हो चुके है और उनसे मेरा आग्रह होगा कि एक मत हो कर इस राष्ट्र-विरोधी और देश द्रोही भावना का त्याग करें और जो वहा छुरी और लाठी का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन पर बंदिश लगाने की एक हो कर आवाज लगाए।

श्रीमती सुभद्रा जोशी जी से भी मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव के आखिर मे डी मे यह कहा गया है

> and which disturbs or is likely to disturb the public tranquility,

नौकरशाह जो है वे इसको दूसरे माने मे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसको अगर ड्राप कर दें तो भी काम चल जाएगा। आर करने से अलग सीढी मे भी उसको ले जाएंगे।

इस वास्ते इसमें थोड़ा संशोधन कर दें और यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, यही मेरा अंतिम आग्रह है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Communalism is a hydra headed difficult problem faced by our country. But my problem is time. We have just 40 minutes left and I have 20 names with me. I do not know how to manage it. Besides these 20 members, the Minister has to say something and the mover of the Bill has to reply. We can extend the time to some extent but we have to finish it today.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): My submission is that this Bill, though in a limited form, deals with a very vital problem faced by the country. Even though this is a non-official Bill so much of interest has been created in this House and many members want to participate in the discussion. I feel that it should be discussed throughly. I wish to see that public opinion is created through our discussion. That is why I submit that sufficient time should be allotted to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will consider all that. In the mean while, let us go on with the discussion.

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the Bill that has been moved by Shrimati Subhadra Joshi. At the same time, I also welcome the directive of Shri K. C. Pant to the police officers to protect the weaker sections of the community.

While the amendment is very much called for and must be supported and passed, I feel that there is some amount of responsibility on the Deputy Commissioners and Superintendents of Police in every State and District to prevent a riot. The Preventive Detention Act is already there and I do not understand any reason why they cannot take preventive steps when that Act is there.

Notwithstanding all this, I support this Bill because I feel that the Deputy Commissioners and the Superintendents of Police have been trying to find some reason or the other to escape their responsibility which, I think, the State Government should place on them. I would go to the extent of saying that when there is a riot, the Government should place the Superintendent of Police and the Deputy Commissioner concerned immediately under suspension till it is investigated. Why I say so is because these communal riots that tarnish our image in the outside world can be prevented. They are putting the hands of the clock back to the 16th century, when we used to have religious wars. That apart, it also gives insecurity to the minority community. Once you give insecurity to a particular community, which is a minority in character but which has a very large population if you count them, it creates a sort of instability in the country.

I also attach importance to this because this insecurity gives them a chance to go in for separatist tendencies. It is that separatist tendency that actually led to the partition of India and we have not been having peaceful relations with our neighbours ever since and our political and economic development has also been thwarted.

Let us try to understand where and why these riots happen. They happen in industrial towns like Rourkela, Ahmedabad, Ranchi, Tatanagar and places like that. They happen because the vested interests, either in the RSS or in the Jamat-i-Islami or wherever they are, they want to create trouble in order to weaken industrial workers. This postpones the class consciousness which we want to bring about in this country. Therefore, I very strongly support this Bill and say that it must be passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I appreciate the desire of hon. Members, their feelings and concern, about this but still we must decide on some limit otherwise we cannot go on indefinitely. Suppose, we carry on with this Bill till 5·45 so that we have some time to take up the other Bill. But there are 20 names here. So, I request that each Member takes only five minutes, because within this time the Minister will also say something and the Mover of the Bill will also say something. Then, it may be possible to accommodate the maximum number. So, let us make an effort and confine our remarks to five minutes each.

SHRI SYED AHMED AGA : I would like to make only two points but please permit me to make those points. One of those points was raised by my hon. friend just now. He raised the issue of books. I feel there are books which are being used to poison minds and we are creating a generation which will not be the one which gave birth to people like Maulana Azad and others. Therefore, I feel, it is not enough that such books should be banned but it is necessary, at the same time to encourage books which preach communal harmoney or which give a better sense of history, a better version of history.

16 hrs.

It is wrong to say that there was any quarrel between Mughals as Muslims or with Shivaji as Hindus. It was Mughal expansionism. It was Raja Jai Singh fighting for Aurangzeb; it was Raja Man Singh fighting for Akbar and it was Raja Todar Mal who annexed my part of the territory with Akbar's Kingdom. I, therefore, say that these history books should be re-written or revised.

About Jamiat Islami, I want to say one thing. When Jallianwala Bagh incident took place, Gandhiji said that the blood of Hindus, Muslims and Sikhs had intermingled. But the R. S. S. came out with a theory of Akhand Bharat. In the same manner, Jamiat Islami came into being in 1941 and it started encouraging separatist tendencies. And the partition followed. In 1948, Madoodi went over to West Pakistan and left his disciples here. They formed a new party and that party was again called as Jamiat Islami.

What is that party ? Their books may look innocent. But there again, their preaching was about separatist tendencies. Here, I want to quote Madoodi's approach. He said that Muslims cannot accept the supremacy of legislature because the supremacy of God is to be accepted. The Jamait do not participate in politics. When they do not participate politically, what do they do ? They preach separatist ideas. What does it mean ? They create separatist tendencies. They even went to Madoodi for advice and his advice to them was, "You refrain from active politics because Hindus want Hindu State."

Both the R. S. S. and Jamiat Islami are one and the asme thing because the aim is the same. When they say, Akhand Bharat, they mean the same thing. There is absolutely no difference.

I want to quote one thing more. One day, when Shri Shashi Bhushan was speaking he was interrupted and that interruption was, "Why don't you read the R. S. S. constitution ?" He said, "What about your giving training in wielding lathis, spears and poison-dipped knives." The reply of Mr Kachwal was,—he is not here today—I quote : "No, they should teach to wear bangles and dance."

If that is the attitude, they do accept the fact that they do give training in lathis, spears and all that If that is so, it is a matter for us to see whether such things should be allowed to happen or not.

Lastly, I want to say something with regard to Kashmir. The whole point is like this. When all this happened, Kashmir was created as a sort of problem by imperialist who give inspriation to R. S. S. and Jamait Islami. What happened during the last war ? If you look at it on a wider canvas, when our forces were advancing and Kashmir cease-fire line was vanishing, the 7th Fleet moved into the Bay of Bengal. and China said, "We stand by the right of self-determination of Kashmiri's." Why can't we be alive to this ? Why can't we understand this ? Why can't our friends try to see that they are unpatriotic because they are trying to bring about division in us nnd keep us busy in fighting ? I want to ask one thing more. Why does Jamiat Islami here say that they do not want to participate in politics. But why in Kashmir, the Election Commission has permitted them to participate and fight the elections on their request ? They are having schools, a large number of schools, and in those they have teachers who are working with missionary zeal spreading poison. If that be so, we must see whether we can in any way fight this evil. As Mr. Darbara Singh said, we have to look at the roots, that the roots are to be taken out. It is not enough giving only a superficial treatment.

16.05 hrs.

[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

SHRI R. P. ULAGANAMBI (Vellore) : First of all I would like to convey my thanks for the opportunity given to me to speak on the Bill moved by Shrimati Subhadra Joshi.

I would like to say a few words on this Bill. The objective of the Bill is appreciable, but is it possible to implement it in practice ? With all respect I would like to submit that, in our country, there are many organisations and associations on the basis of religion, community, language and so on. There are many organisations and associations on the basis of religion in order to propagate the doctrine of religion in our country; I will not mention any particular religion, Hindu religion or Muslim religion.

My hon. friend, Shri Darbara Singh, while speaking on this Bill, said that there were many associations and organisations based on religion which were creating enmity in our country. I would like to know from this hon. Member whether he is prepared to give up his religious symbols, whether he is prepared to forego what he has got. beard, etc. These are the symbols of his religion. I am not criticising this, because he is only maintaining what is enjoined on him by religion.

There are so many organisations and associations in our country, as I said, to propagate the doctrine of religion. There are many organisations and associations formed on the basis of community for the development and well-being of the people. Take, for instance, the associations for the welfare of backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Similarly, there are many organisations formed on the basis of language for the development of the language. My hon. friend, Shri Darbara Singh, mentioned about DMK, my Party. The DMK is not based on any language or community; it is based on progressive policies. Our language formula is the two-language formula. After all, it is guaranteed in the Constitution; it is a Constitutional right; it is a birth right. We are not opposing the Constitution; we are not against the Constitution. Only the people in the Hindi-speaking areas are fanatics; they want to impose Hindi on the non-Hindi speaking people. We are not fanatics. We teach our mother tongue as well as the link language, which is mentioned in the Constitution, namely, English. Another member was saying that DMK was creating enmity on the basis of language. We are not creating any enmity on the basis of language. It is clearly and categorically stated in our language policy. In our country there are many organisations formed for the development of ancient languages or classical languages. No one can refute that.

As I said, the objective of this Bill is appreciable. But is it workable ? That is my only question In elections the political parties choose their candidates from the community which is predominant in that locality. It is a well-known fact, nobody can deny it and even the ruling Party, the Congress Party throughout the country chooses its candidates from the community which is predominant in that area. Sir, there is a provision in the Indian Penal Code for punishing anybody creating enmity on the basis of religion or caste or language. So, I think the present provisions are enough and no more amendment is necessary in the Indian Penal Code. So, I oppose this Bill.

श्री शशिभूषण (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, भारतीय दंड संहिता में संशोधन लाने के लिए जो विधेयक श्रीमती सुभद्रा जोशी लाई हैं और उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।

सभापति महोदय : देखिए, समय बहुत कम है। बहुत से सदस्यों ने नाम भेजे हैं। मैं पाँच मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा। दो मिनट पहले मैं घंटी बजा दूंगा और उसके बाद दूसरी घंटी पर मेहरबानी करके माननीय सदस्य बैठ जायेंगे।

श्री शशिभूषण : सभापति महोदय, दंड संहिता अगर कामयाब होती अभी तक तो संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। मुझे मंत्री महोदय बताएँ कि हिन्दुस्तान में कम्युनल राइट्स

[श्री शशिभूषण]

मे आज तक किमी एक भी आदमी को फांसी लगा। हजारो दगे हुए। हिन्दुस्तान के 30 साल के इतिहास मे साम्प्रदायिक दंगो मे आज तक किमी को फाँसी नही लगी। अगर यह कानून इतना लचीला है, बेढंगा है तो इसको तबदील करना बहुत जरूरी है। इस देश के अदर जब खुले आम चाहे जमायते इस्लामी के लोग हो, चाहे आर० एस० एम० के हो, जब लाठी चलाना, छुरे चलाना और एक दूसरे के बीच मे नफरत फैलाना सिखाते हैं, और उनको आप बैन नही कर सकते तो यह कानून बेकार है। मरकार ने अब तक क्यो नही बैन किया? जब सोशलिज्म के नाम पर आप वोट लेकर आते है, जब सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लेकर आते हैं और इस ढग की संस्थाओ को पनपने देते है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है और अभी तक नही किया उसके लिए भी मरकार जिम्मेदार है। आगे सख्त कदम सरकार उठाए इस सशोधन को लाकर और यदि कानून मे कोई और भी तबदीली लाने की आवश्यकता हो तो उसको भी लाना चाहिए।

जहाँ तक इन संस्थाओ का मवाल है इनका बैकिंग ग्राउड हिन्दुस्तान का मोनोपलिस्ट है। अगर वह इसके लिए पैसा न दे तो ये नही चल सकती। अंग्रेजो के जमाने मे अग्रेज ने इनकी मदद की। आजादी की लडाई मे हिन्दू सस्थाओ, मुस्लिम सस्थाओ और सिख संस्थाओ ने नौजवानो को फौज मे भर्ती कराया और उनको आजादी की लडाई मे हिस्सा नही लेने दिया। लाखो नौजवान शहीद हुए। और आजादी के बाद हिन्दुस्तान का मोनोपलिस्ट, विदेशी मोनोपलिस्ट, फोर्ड फाउंडेशन, सी० आई० ए०, एशिया फाउंडेशन, जमायते इस्लामी और आर० एस० एस० की मदद करने हैं। उनके खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। हमारा कानून इतना लचीला क्यो है? बच आफ थाट्स जो अभी पढा गया, व्हाई हिन्दू राष्ट्र, वह जो किताबें हैं श्री गोलवलकर की वह क्यो नही अब तक बैन हुईं? मै पूछना चाहता हूँ कि जो 'अखबार' साम्प्रदायिकता फैलाते है उनको क्यों नही बैन करते है? हिन्दुस्तान के मोनोपलिस्ट जो बडे-बडे अखबार चलाते है, न्यूज एजेंसीज चलाते है, इन कम्युनल लोगो की मदद करते है। जो गाँधी मर्डर केस मे गिरफ्तार हुए थे वह चुन कर आ रहे हैं, जो छुरेबाजी मे गिरफ्तार हुए थे वह राज्य-सभा मे चुन कर आ सकते है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय, जो गांधी मर्डर केस मे गिरफ्तार हुए थे वह अभी तक चुन कर आ रहे है (**व्यवधान**) मै इनका उत्तर नही दे रहा हूँ। मिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि होम मिनिस्ट्री के अन्दर उन लोगो का नाम मौजूद है, मरकार स्वय उन लागो के नाम ले यहाँ पर ··(**व्यवधान**) · सभापति महोदय, मै तो किसी का नाम भी नही ले रहा हूँ, मुझ से पता नही क्यो ये नाराज रहते है? मेरा यह कहना है कि जो ये फासिस्ट आर्गेनाइजेशस है उन सब के ऊपर बैन लगाना चाहिए सरकार इनको दडित करे वरना जिस प्रकार से बगला देश मे साम्प्रदायिक लोगो के साथ हुआ, उनको रात की अधेरे मे कभी टार्च से नहीं ढूढा, बन्दूक की नोक से ढूढा, हिन्दुस्तान मे ही वही होगा। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कदम उठाए, इस बिल को मान ले। यह कहना कि सरकार स्वय बिल लाएगी, इसमे बहुत देर लगती है। आइ० सी० एस० के प्रिविलेजज पर बिल ला रहे थे, वह अभी तक नही आया। तो इस प्रकार की देरी न हो, जल्दी से जल्दी इसका बिल ले आएँ। इतना ही कह कर मै इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री राम सहाय पांडेय (राजनंदगाँव) सभापति महोदय, हमारा यह सदन राष्ट्र का सबसे बड़ा मन्दिर है और जब आप सदन के अन्दर प्रवेश करते हैं तो उसके मुख मंडल पर एक सुन्दर श्लोक पंचतंत्र का लिखा हुआ है—

अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम् ।
उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

यह उस श्रेष्ठ पंचतंत्र की व्याख्या है जिसमें कि हम न केवल अपने राष्ट्र के नागरिकों को सम्बोधित करते है वरन् संसार को एक ममता और एकता के सूत्र में बांध कर, बंधुत्व का पाठ पढ़कर यह कहते है कि हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, छोटे और बडे की भावना नहीं है। किसी देश में सम्प्रदायवाद के नाम पर जितनी रुधिर वहाँ है शायद इन्सान की जिन्दगी में इन्सान तारीख मे संसार मे कही इतना खून न बहा होगा जितना हमारे यहाँ बहा है। हम उन कारणों पर नही जाना चाहते जिनसे हमारी धरती बँटी लाखो लोग इधर से उधर गए। मैं उस इतिहास मे नही जाना चाहता, उसमें बहुत करुणा है, दया है जहाँ इन्सानियत बिखर कर गिरी, घायल की गई। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस नवोदित वातावरण में लोकतन्त्र में कम से कम साम्प्रदायिकता, भाषा के नाम पर, सम्प्रदायवाद के नाम पर, धर्म की झूठी परिभाषा कर के भड़काई न जाये। इतना गुमराह लोगों को न किया जाये, इतना भ्रमित न किया जाये, इतना गुस्से में न डाला जाये कि वे अपनी जेब से चाकू निकाल कर मासूम इन्सान की जिन्दगी को ले लें। वह नहीं होना चाहिए। आज इस आधुनिक समाज में सबसे बड़ा धर्म कोई हो सकता है तो वह रोटी का धर्म है और दूसरा धर्म बंधुत्व का है और तीसरा एक धर्म इन्सानियत का है। इसके परिवेष में जितनी धारणायें और मान्यतायें आती है उनका स्वागत है और यदि उन तमाम परम्पराओं और धारणाओं से इन्सान इन्सान से लड़ना हो धर्म के नाम पर तो मैं उस धर्म को धर्म नहीं कहता। वह सम्प्रदायवाद जिसमें बंधुत्व न हो सम्प्रदायवाद नहीं है। और अगर उस भाषा में जिसमें हम माँ की गोद से यह शिक्षा लेकर न उदय होता हो हमारे जीवन का कि हम सब बराबर हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस भाषा में भी कोई कमी है। देखना यह है कि इस लोकतन्त्र के वातावरण में जहाँ हमने यह स्वीकार किया है कि हम समता, एकता और इन्सानियत को स्थापित करेंगे और सबको बराबरी का मौका देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह डगमगा जाये? भिवण्डी, अहमदाबाद या जलगाँव में जो कुछ हुआ, दुनिया के लोग क्या कहते होंगे कि यह लोकतन्त्रवादी राष्ट्र है जहाँ हम रोटी और वस्त्र का सवाल नही पूरा कर पा रहे हैं दवाई का इन्तजाम नही कर पा रहे है वहाँ एक इन्सान दूसरे इन्सान को इस प्रकार मारने के लिए एक जजबाती स्पीच पर भडक जाता है और एक दूसरे का खून करने लगता है। हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है और हमारा समुदाय जो लोकतन्त्रवादी समुदाय है उसका भी लज्जा से सिर झुक जाता है। इस नये वातावरण में रोटी के सवाल को हमें हल करना है और दूसरी व्यवस्थायें करनी है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए यह जो भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन श्रीमती सुभद्रा जोशी का है उसका मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ इसकी व्यवस्था है, वहाँ इसका पालन भी होना चाहिये। श्री शशि भूषण ने ठीक कहा है कि जितने साम्प्रदायिक झगड़े हुए है, किसी को फाँसी नहीं हुई। कठोर से कठोर दण्ड देकर हमें नये समाज का निर्माण करना है, जहाँ लोकतन्त्र हो, समता हो, एकता हो।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I have nothing to say against this Bill. I do not oppose it, but I would say that it is a timid approach to the very vital problem, or I should say the poisonous problem of communalism that is eating into the very vitals of our national life. The emergence of Bangla Desh, and and not only the denial but refutation of the two-nation theory by Bangla Desh, has now created a new atmosphere, and a new outlook and it has released a new force not only for Bangia Desh but also for the whole of the Indian sub-continent to approach this problem with bigger perspective, I should say, not in a chicken-hearted manner but in a lion-hearted manner, so that this virus of communalism could be uprooted from our national life for good.

Although at the back of her mind, the framer of this Bill, had a certian organisation in view, yet I should say that she has

[Shri Samar Guha]

not had the courage to name that organisation She has not had the courage to attack that organisation or to ask to ban that organisaation I should say that this Bill is in a sense purposeless, because its main objective is to ban a particular organisation, by approaching it on an individual basis Therefore, I feel that it seems to be redundant

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) She had the Muslim League in her mind

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode) No she had the Jan Sangh in mind

SHRI SAMAR GUHA During the time of the Bangla Desh liberation, the people of Bangla Desb were expressing their anger against the communal organisations there and they attacked the communal parties and they burnt the offices and premises of the Muslim League, the Jamiat e-Islami and the Nizam-e-Islami and other communal organisations in Bangla Desh and they have completely eradicated such communal bodies But in our country we find that not only the communal parties and communal politics are functioning but they are also participating in elections.

I should say that this Bill has only a very limited objective Many hon Mambers have given expression to the hope that some kind of progressive approach and some kind of radical approach should be there, some kind of revolutionary approach should be there so that the communal virus can be eradicated for good The Government party has got absolute majority and aboslute power now I would like to ask the hon Mover and also the Government party whether they have the courage to ban communal politics and communal parties I would like to ask them whether they have the courage to derecognise the right of the communal parties to participate in elections I would like to know whether they have the courage to eradicate communalism from education also I would like to know whether they have courage to drop the word 'Hindu' from the name of Banaras Hindu University, and likewise, to drop the word 'Muslim' from the name of Aligarh Muslim University......

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT I protest against the dropping of the word 'Muslim'.

SHRI SAMAR GUHA I would like to know whether they will abolish the distinction between Hindu hotels and Muslim hotels and abolish this type of distinction between one class of citizens and another I would like to know whether they can think of that kind of law which will ban anything that creates hatred and differences between people of different ecommunities I would also like to ask whether they hove the courage to have the same kind of social laws for all citizens I would like to know whether they have the courage to see that family planning is introduced uniformly for all communities all over the country

Sir, this Bill displays only a negative approach But we can think of a positive approach in the sense that we can create a better atmosphere in the country instead of breeding a communal atmosphere, because of the emergence of Bangla Desh The positive approach is whether we are going to reorganise education

Just now, one hon Member was mentioning that the Indian history books will have to be completely rewritten, I would like to know whether Government are going to do this Here, I might mention that I was a member of the committee attached to the Information and Broadcasting Ministry, and I was trying to have some kind of book written by Government and also some kind of film produced on the role played by the Azad Hind movement You will remember that Netaji Subhas Bose had in his army not only Hindus, but Muslims and Sikhs, but they all used to lived together, dine together and work together, and the temples, mosques and gurdwaras in the jurisdiction of Azad Hind Government were open to people belonging to all communities

The time has come for a bold approach to this problem, We have seen how even after the liberation of Bangla Desh, after the denial of the two-nation theory, on the basis of which India was partitioned, the virus of the two-nation theory still remains dec-

ply embedded in our national life. We have seen how a section of the people of the country took vicarious pleasure in seeing the dismemberment of an Islamic State. We have also seen how other sections of people felt shocked because an Islamic State was dismembered. We noticed both these opposite mentalities a few months back Therefore, it is a fact that the communal sentiment, the communal outlook and communal mentality still exists in mray sections in our country. Therefore, if we really want to eradicate the communal virus and develop a synthetic outlook of nationalism an Indian national feeling, we have to approach the problem in a bold way and bring forward a radical and comprehensive Bill to tackle it.

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, देश को आजाद हुए २५ वर्ष बीत रहे हैं, परन्तु आज तक यह देखने में नहीं आया कि जो साम्प्रदायिक पार्टियाँ है, जो साम्प्रदायिक संस्थाएँ है, उन पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण लगाया गया हो। मान्यवर, भारत का इतिहास साक्षी है, जिसने 'वसुधैव कुटुम्बकम' का नारा दिया और आज जब हम इस देश से गरीबी दूर करने का संकल्प कर रहे है, साम्प्रदायिक संस्थायें, साम्प्रदायिक पार्टियाँ एक दूसरे को लड़ाने के लिए हर वक्त प्रयत्नशील रहती हैं। आज भी कालिजों में हमारे जो लड़के पढ़ते हैं, उनको नाना प्रकार के प्रलोभन देकर ये साम्प्रदायिक संस्थाएं छात्रों को गुमराह करके लाठी और डण्डा चलाना सिखाती हैं—चाहे वे आर० एस० एस० हो या मुस्लिम लीग हो, कोई भी संस्था हो......

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मुस्लिम लीग कभी नहीं सिखाती।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : इन पर नियंत्रण लगाना परम आवश्यक है। यह विधि की विडम्बना है कि आज तक इस सदन में, जो सदन राष्ट्र का फैसला करता है, कोई ऐसा कानून नहीं आया। ऐसा नियम, ऐसी विधि, ऐसा कानून जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। श्रीमती सुभद्रा जोशी जी ने जो बिल यहाँ पर पेश किया है, सरकार को चाहिए कि उस पर विचार करे और ऐसा कानून यहाँ पर लाये।

आज हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में, सभापति महोदय आप जानते होंगे, हर दूसरे तीसरे महीने सुनाई पड़ता है कि हिन्दू-मुस्लिम रायट हो गया है, इसका क्या कारण है? इस पर अगर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि ये साम्प्रदायिक संस्थाएं हर वक्त एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करती हैं। इसलिए इन पर नियन्त्रण लगाना परमावश्यक है। इसके लिए कानून बनाकर ऐसी संस्थाओं पर शीघ्र से शीघ्र कन्ट्रोल करना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : The amendment Bill brought forward by Shrimati Subhadra Joshi to curb communal, caste and religious tendencies in the country is laudable, but I very much doubt whether it will be able to achieve the purpose for which it is intended. India had the inner strength to bear all the vicissitudes of a chequered history when she faced many invasions, on the basis of communal, language and other things. The bedrock of Indian nationalism was tolerance and mutual respect towards all religions. But after the advent of British imperialism, the communities were divided and they were played against each other, and we are suffering from the hang-over of that aspect. It is also being introduced in our politics and politicians are trying to exploit the susceptibilities of the various communities in society. This is the real cause of this problem.

The Father of the Nation has given up his life for the cause of communal harmony. Many saints have sung throughout the length and breadth of our country preaching communal harmony. We had that inner strength to withstand all these vicissitudes, but how it was not possible to eradicate this evil from our body politics? As I have clearly said, something is wrong with our political functioning and also with the present set-up of things.

A few days back, I had occasion to read a news item in a leading daily of Delhi.

[Shri Venkatasubbaiah]

There, the news is very surreptitiously and cynically put in, and I should bring it to the notice of the Ministry. The news item says that in Purana Qila, the temple of Kunti Devi is being removed, and there is a mosque, I am told, where there was no namaz said previously. Under the Ancient Monuments Act, namaz is being said in the mosque now, whereas the temple is being removed. It has been done when Prof. S. Nurul Hasan has become the Minister in charge of education. It has been prominently put in a very leading daily, and this is how it tends to create communal hatred among the various sections of the people. Such writings or such speeches must be dealt with very severely.

Though the country was supposed to have been divided on the two-nation theory to which the Congress organisation under the leadership of Mahatma Gandhi did not agree, and as a matter of fact that was a disputed fact, it has now been disproved by the heroic struggle put forward by the people of Bangla Desh. But I only suggest to the hon. Mover of this Bill that it would have been better had she brought forward a comprehensive Bill touching on all the facets of our national life and also seeing how communal harmony has to be achieved.

It is not only communal harmony on the basis of religion but on the basis of caste and community. These are very important factors that have to be gone into. We should make a very thorough probe or research into all these matters, and devise certain measures so as to see that these are eradicated by creating and mobilising public opinion by taking certain measures to impart a sort of social dignity to the various sections of the people.

For instance, I can suggest here the idea of inter-caste marriages or marriages from one religion to the other religion. The Government must come forward to give a sort of incentive to such people and where such things are being encouraged. All these factors are to be taken into consideration, and by this amendment alone, I do not think that the object which the hon. lady Member wants to achieve will be achieved. There should be public opinion and also there should be a code of conduct among the different political parties.

With regard to the nomenclatures that have been put to various organisations, these nomenclatures must also be done away with. My hon. friend has just now referred to these Hindu hotels and Muslim hotels. In South India, it is not a Hindu hotel or a Muslem hotel, but it is a brahmin and non-brahmin hotel. We have gone still further. It is not merely Hindu hotel or Muslim hotel, but it is a brahmin or a non-brahmin hotel. In this manner, things are going on. Though it may not be apparently harmful, this is all the time reminding the people of the community or caste or religion to which they belong. This type of attitude must be sought to be eradicated and then only we will be achieving the object for which we stand.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, श्रीमती सुभद्रा जी ने जो बिल पेश किया है उसका मंशा तो बहुत ठीक है लेकिन प्रश्न यह है कि इसको करेगा कौन ? कानून से राज्य नही चलता है, आदमी जब बदल जाता है तब कोई काम चलता है इसलिए आदमी को बदलना चाहिये। गांधी जी ने हिन्दुस्तान में आदमी को बदला तो आदमी हिन्दुस्तान में तैयार हुए और अंग्रेजों से लड़े लेकिन कानून तो बना हुआ है जिस कानून के अन्दर, कोई आदमी खून करे तो उसको फासी की सजा होती है लेकिन कितने आदमियों को फांसी की सजा होती है और कितने आदमी छूट जाते हैं। कारण यह है कि जब तक गवाही ठीक से नहीं मिलती है, आदमी सच्चाई पर नहीं आता है और आदमी खून करता है तो छूट भी जाता है और फांसी भी पा जाता है। इसलिए आदमी को बदलना चाहिए। आज इस बिल का जो उनका मंशा है, जिन लोगों के प्रति मेरे ख्याल से यह लाया गया है, वे खुद बदल गये हैं इस चुनाव में। बिहार में उस कम्युनिटी को हम लोगों को बहुत कम वोट मिली। उस कम्युनिटी ने खुद अपने विचार से अपनी कार्यवाही को

बदल दिया। इसलिए इस बिल में जो उनकी भावना है, उस भावना से आगे दुनिया चली गई है और सवाल यह है कि बिल का मंशा तो ठीक है लेकिम इसका पालन कौन करेगा और कौन करायेगा? आदमी जब तक नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा, लाख यह बिल लावें। मैं पूछना चाहता हूँ कि गाँधी जी ने जो हम लोगों को सिम्पलिसिटी सिखाई और जिस ढंग से हमको रहना चाहिये, मैं पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, आप इस हिन्दुस्तान के तख्ते ताउस, सोवरेन बाडी के तख्त पर बैठे हुए हैं, कितने मिनिस्टर और राष्ट्रपति से लेकर गाँव के स्वयं सेवक तक अपने पद का पालन करते हैं? वह पालन नहीं करता है। इसलिए हम लाख कानून बनावें, लाख बिल बनावें, कुछ नहीं हो सकता हैं। हमारे विधान में यह लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे यहाँ बड़े-बड़े राजा हैं और जो हमारे यहाँ बड़े-बड़े अफसर हैं, उनके लड़के ही बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों और कालजों में पढ़ते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, वे इस कारण मिनिस्टर नहीं होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य की कोई कीमत है? आदमी को जब तक नहीं बदला जावेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला हैं। आज जो मंशा हैं सुभद्रा जोशी जी के बिल का, मैं बतलाना चाहता हूँ कि बिहार के चुनाव में उस कम्युनिटी के, जिसके प्रति वह बिल है, हम लोगों को बहुत कम वोट मिले दूसरे लोग वोट ले गये। आप खुद इस गद्दी पर बैठे हुये हैं, आप ही बताइये कि बिल जब तक बने, बने, लेकिन वह भावना तो खत्म हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आदमी को बदलने की जरूरत है। आदमी जब बदलेगा, तो न भाषा की लड़ाई होगी, न धर्म की लड़ाई होगी और न कोई और लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो खाने की। वे यहाँ पर इस बिल को लाई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आदमी के ऊपर कितना खर्च होता है? उस खर्चे से एक गरीब आदमी का खर्चा मिलाइये। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार अपनी भावना को बदले, अफसरों को बदले। मैं काग्रेसमैन हूँ, मैं नहीं पूछता कि साहब, आप टिकट किस बुनियाद पर देते हैं? पहले देख लेते हैं कि इतने परसेन्टेज फलां जाति के आदमी हैं तो घूम.फिर कर उतने वोट तो उसको मिल ही जायेंगे। इसलिए उसको टिकट देते हैं। तो फिर सरकार पहले इसमें सुधार करे। सरकार के नेताओं ने हिन्दुस्तान का बंटवारा क्यों किया? उन लोगों के खिलाफ चार्ज लाना चाहिए जिन्होंने हिन्दुस्तान का बंटवारा कम्युनल बेसिस पर किया। हम लोगों से पूछा नहीं गया। हम फ्रीडम फाइटर थे। न डी० सी० सी० से पूछा गया और न पी० सी० सी० से पूछा गया। करने के बाद ए० आई० सी० सी० की मीटिंग बुला ली और उस पर गाँधी जी की मुहर लगवा दी। वह बुड्ढा आदमी क्या करता? आज हम बुड्ढे हो गये हैं, कोई रेवोलूशन नहीं कर सकते हैं। सुभद्रा जोशी जी कहाँ हैं, समझ में नहीं आता उनका बिल तो है पर वह अनुपस्थित हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार को बदले, सरकार की मंशा बदले और सरकार में जो लोग हैं वे बदले। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो हमारे मिनिस्टर हैं ये लोग कहाँ के सेक्रेटरी को रखते हैं? अपने सूबे के सेक्रेटरी को रखते हैं, अपने नजदीक के आदमियों को रखते हैं। ये क्यों नहीं बदलते अपने आप को? जो हमारे अफसर लोग हैं, ये कहाँ के आदमियों को अपने यहाँ नौकरी में रखते हैं। अपने नजदीक के आदमियों को नौकरी में रखते हैं। इसलिए आदमियों को बदलने की जरूरत हैं और यह कानून आप लाख बनाइएगा, कानून का पालन करने वाला आदमी जब तक नहीं रहेगा, कानून आपका वेस्ट-पेपर बास्केट में चला जायगा। हिन्दुस्तान में आदमी को बदलने की कोशिश कीजिए और मैं कहूँगा कि सरकार बिल की जो मंशा है, इसको काम में लाये, कानून रहे या न रहे। इसलिए आदमी को बदल कर आदमी बनायें जब भेद भाव मिटेगा। कानून तो है कि खूनी

[श्री विभूति मिश्र]

फासी चढेगा फिर खूनी कितने फाँसी चढते है। चूँकि आदमी सच्ची गवाही नही देते, सरकारी आदमी सत्य की खोज नही करते। इसलिए मुजरिम छूट जाता है, तो कानून क्या करेगा। इसलिए आदमी को बदलो।

श्री शिवनाथ सिंह (झुझुनू) सभापति महोदय, यह जो इडियन पेनल कोड का अमेंडिग बिल है इसकी भावना का मै समर्थन करता हूँ। आज हम चाहते है कि हमारे देश के अन्दर इटेग्रेशन की भावना आये और वह आ भी रही है। आज इस तरह का डर इस बिल मे व्यक्त किया जा रहा है वह उतना नही है जितना पहले था, लेकिन फिर भी वह नाकते मरी नही है और कभी भी सिर उठा सकती है। इसलिए इस तरह का प्रावधान होना चाहिये।

आज जो वातावरण बना है और जो डिबेट हुआ है वह कम्यूनल बातो पर ही किया गया है, चाहे आर० एस० एस० हो, चाहे जमाते इस्लामी हो या हिन्दू मुसलमान का नाम लेकर हो। मै सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कि कोई जाति या बिरादरी कम्यूनल नही होती है, न हिन्दू है और न मुसलमान है। हालाकि कम्यूनल लोग हिन्दुओ मे भी है और मुसलमानो मे भी है लेकिन इस तरह के झगडो की जड क्या है, झगडे होते है, हमे इसकी तरफ ध्यान देना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह शिव सेना किस की है? शिव सेना मे कौन लोग है? मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा गौहाटी के दगो की तरफ। वहाँ पर कौन हिन्दू और मुसलमान थे? आज अक्सर कहा जाता है कि बगाल बंगालियो के लिये है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोगो के लिये होना चाहिए। बम्बई के बँटवारे पर आप गुजरात मे चले जाये या महाराष्ट्र मे चले जाये, इस तरह की बातें उठाई गई थी। हमने देखा है कि इस बात को लेकर महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे क्या भावना है? इस प्रकार की जो भावनायें है उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का बिल होना चाहिये।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने क्लाज 153 (ए) मे एक शब्द रक्खा है, और शब्द को मै भी महत्व देता हूँ। उन्होने रक्खा है

"On grounds of place of birth"

प्लेस आफ बर्थ के आधार पर हम कह सकते है कि राजस्थान का पैदा हुआ मारवाडी है और उसको बंगाल मे जाने का अधिकार नही है, बिहारी को बगाल मे जाने का अधिकार नही है, केरल वाले को राजस्थान मे आने का अधिकार नही है। आज इस प्रकार की भावना बढ रही है और इसको खत्म करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान बनने चाहिये। ऐसी भावनाओ के बारे मे जो कुछ श्री विभूति मिश्र ने कहा वह बिल्कुल सही है। जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज होती है वह जिस प्रान्त मे होती है वहाँ का जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वह उसी प्रान्त के लोगो को उसका इन्चार्ज बनाता है उसका रिक्रूमेट जो होता है वह भी जातीयता और प्रान्तीयता के आधार पर होता है, यह सब बाते इस प्रकार की है जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए और जिनको हमको कंट्रोल करना चाहिए।

इस बिल मे जो भावनाये है हो सकता है उनके अन्दर यह बाते न आती हो, इस बिल के प्रावधान उनको कंट्रोल करते हो जो काम प्लेस के आधार पर या प्रान्तीयता के आधार पर होते हो। प्रान्तीयता का जो जहर है वह जातीयता और धर्म के आधार से भी अधिक खतरनाक है इसलिए सरकार को इन बातो की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। इस अमेंडिंग बिल के पीछे जो भावना है उसकी कद्र करते हुए इस तरह को प्रवृत्तियो की कंट्रोल करना चाहिए।

इन शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो तरमीम पेश की है वह बहुत ही समर्थन योग्य है, मगर सिर्फ कानून बनाने मे ही कोई काम नही चलता है। प्राहिबिशन को देख चुके है। प्राहिबिशन का कानून बनाया गया, लेकिन शराबबन्दी के जमाने मे शराब ज्यादा पी जाती थी। अब प्राहिबिशन खत्म करने के बाद लोग कम पी रहे है। जहा तक बैन लगाने की बात है, मै अपने अनुभव मे बतलाना चाहता हूँ कि जब हम बच्चे थे, स्कूल और कालेज मे पढते थे तब हैदराबाद स्टेट मे सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, जिसको स्वामी दयानन्द ने लिखा था, बैन लगाया गया। उस जमाने मे पूरी हैदराबाद स्टेट मे हर घर मे सत्यार्थ प्रकाश था, लेकिन आज बैन नही है, आज वह किसी भी घर मे नही दिखलाई पडता है। किसी भी चीज पर बैन लगाने से आदमियो के अन्दर एक अट्रेक्शन हो जाता है कि उसको देखना चाहिये और वह उसके पीछे पड़ जाते है। अभी एक माननीय सदस्य ने किताब मे पढ कर कहा कि उस पर बैन लगा दिया जाये। इसका मतलब तो यह होगा कि जितने भी आदमी है हर एक का ध्यान उस किताब को पढने की तरफ जायेगा बैन लगा कर डैमोक्रेसी मे कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती। हमारी फ्री सोसाइटी है। हर आदमी को हर किस्म की बात कहने का हक है, अपनी मर्जी से वह जो चाहे लिख सकता है। अगर यह डर है कि किसी की तकरीर करने से, किसी के लिखने उसका प्रभाव दूसरो के ऊपर पड़ता है और जो लोग डरते है कि उन पर प्रभाव न पड़ जाए, उनसे मैं पूछता हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं ? गोलवलकर जी के भाषणो से इतनी जो पार्टिया यहा बैठी है, दो कम्युनिस्ट पार्टिया है, सोशलिस्ट पार्टी है, हमारी कांग्रेस है, वह कांग्रेस है, इतने बड़े-बड़े एम० पी० है, नेता हैं, क्या इन लोगो पर असर हुआ है ? यह जो टिमिडिटी है, उनका मुकाबिला करने से घबराने की जो बात है, यह बहुत बुरी चीज है। पिछले चुनाव मे साम्प्रदायिकता को, मजहब को तथा दूसरी जितनी खराब चीजें हो सकती थी, सबको उभारा गया। नतीजा क्या हुआ ? कितनी ही जगह ऐसा करने वाली पार्टियो का नामोनिशान ही मिट गया, कई स्टेट्स मे उनको एक सीट भी नही मिली। जितने डिपाजिट इस इलेकशन मे जब्त हुए 1952 के बाद के इलेकशज मे उतने नही हुए थे। इसलिए अगर यह सोचा जाता है कि पता नही वे क्या करेगे यह गलत है। अगर वे कर सकते है तो क्या हम नही कर सकते है। नेहरू जी ने बहुत सही कहा था कि दसवी सदी से ले कर बीसवी सदी तक जितने लोग आ सकते है' उतने लोग अब भी हमारे पास मौजूद है। उन लोगो मे हमे डरना नही है हिन्दुस्तान बहुत आगे बढ रहा है लोग भी आगे बढ रहे है। कुछ लोग है जो कोल्हू के बैल की तरह आज भी फिर रहे है। उनमे कोई खतरा हिन्दुस्तान को नही है, सैक्युलरिज्म को नही है, डैमोक्रेसी को नही है। उनको उनके हाल पर छोड दिया जाए। लोगो को अच्छी तरह से एजुकेट किया जाए। लोग जो कुछ उनको कहा जाता है उसको परखने की उनमे अकल होनी चाहिये। जब तक उनको अकल नही आएगी तब तक वे अच्छे बुरे मे तमीज नहीं कर सकेंगे। गाव का बड़ा आदमी जब कह देता है कि बकेट इसको डालो, उस वक्त तो यह खतरा जरूर रहता है। इस वास्ते पहला काम यह होना चाहिये कि हम लोगो को एजुकेट करे, उनको सोशल फिलोसोफी, पोलिटिकल फिलोसोफी अच्छी तरह से समझाए ताकि वे अपनी राय का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : Sir, I am very glad that Shrimati Subhadra Joshi has moved this Bill and given an opportunity to the members to ponder over this problem. Many of the members who have taken part in the debate have expressed the opinion that curbs are necessary over such organisations who indulge in communal activities or create such an order in the country which has for its base purely communal and racial consi-

[Shri F. H. Mohsin]

derations. According to the mover, one of the objects of this Bill is to bring within the purview of the law such associations and organisations. But we have to see whether this aim has been achieved by this Bill. Unfortunately it is true that communal organisations and individuals have been creating a law and order situation in the country which comes in the way of progress and development of the country. As we have seen at Ahmedabad, Bhiwandi, Jalgaon, Rourkela and hundreds of other places, there have been incidents of communal trouble all over the country, but it is gratifying to note that such incidents have become lesser and lesser recently. But we cannot ignore the fact that the communal virus is still present in the country and some organisations and associations are still going on with this communal propaganda which is detrimental to the progress of the country as a whole. At this age when we have to think in terms of humanity it is regrettable to note that we think in terms of sectarianism, racialism or casteism.

SHRI R. V. BADE : Sir, there is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may resume his seat. The bell is being rung— Now there is quorum. He may continue his speech.

SHRI F. H. MOHSIN : I was referring to the communal incidents that were occurring in various parts of the country. This is an age when we have to think of providing food, clothing and shelter to the vast masses. So, we cannot think in terms of religion, race or caste. Shrimati Subhadra Joshi has correctly stated that we have to think in terms of progress and development of the country and not on narrow communal or caste lines. Here I would like to quote her own words :

"तो जिस वक्त देश के लोग अपने आर्थिक सवालों के बारे में सोचने लगे, उस वक्त इस संस्थाओं ने ऐसा वातावरण बना दिया कि कोई हिन्दुओं की गिनती कर रहा है, कोई मुसलमानों की गिनती कर रहा है कोई मस्जिद के लिए रो रहा है, कोई मन्दिर के लिए रो रहा है।"

This is what happens when communal trouble takes place. People forget that they are human beings first and religion or caste comes only second. The moment a communal trouble takes places the Muslims will think how many Muslims are dead, how many mosques have been deserted or burnt while some of the Hindus may think how many of their temples have been destroyed or how many Hindus have been killed or injured.

This attitude in itself should go and we have to think in terms of the national loss that has occurred. If a house or a shop is burnt, we should take it a loss to the wealth of the whole nation, because in a socialist country like ours we have to think in terms of the development of the people generally. If it is a loss to the Muslims, it is a loss to the whole nation and if it is a loss to the Hindus, again it is a loss to the whole country. The country becomes the poorer to that extent. If property worth Rs. 1 crore or Rs. 2 crores is burnt or lost, it is a loss to the whole country in a way and we have to strive hard again to produce that wealth and to see that the people become prosperous. Therefore it is high time that we do not think in terms of communalism or communities but should now go ahead to see that real socialism comes into being and the people are provided with shelter, food and sufficient clothes.

Generally, the Members, who have taken part in the debate, are not opposed to the idea of putting curbs on communal organisations which are indulging in spreading communal hatred and creating communal trouble. Even Shri Jagannathrao Joshi, in his own words, says :

"कौन सा दल साम्प्रदायिक है, कौन सा दल साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है यह तय किया जाए। इसमें अगर आप आते हैं तो आप फाँसी पर चढ़िये और अगर हम आते हैं तो हम उसको लेने के लिए तैयार है जो भी सज़ा हो।"

He is ready to take whatever punishment that could be given if the organisation that he represents is proved to be communal. In a general way he has accepted that curbs are necessary on such organisations. But it is an important matter to see which bodies are communal and which bodies are engaged in spreading communalism.

SHRI SHASHI BHUSHAN ; It is an open secret.

SHRI F. H. MOHSIN : It may be an open secret but when we formulate a law, we cannot name the organisations which are communal, because today one organisation may be communal but tomorrow it may change its name and may create difficulties. Therefore, let us not name those organisations. But basically one cannot deny the fact that curbs are necessary on such organisations.

I was very shocked to hear from Shrimati Subhadra Joshi about the philosophy and the doctrine which some members of the RSS have tried to propagate. In her speech she also quoted.

"दुर्भाग्यवश हमारे देश में हमारे संविधान में इस धरती के बच्चों को और आक्रमणकारियों को बराबर समझा है और सबको समान अधिकार दिया है।"

This is a quotation from Shri Golwalkar's book that she has quoted.

SHRI SHASHI BHUSHAN : Why do you not ban that ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : आगे है :

"यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति बिना समझे अपने बच्चों एवं घर में घुस आये चोरों को समान अधिकार दे और अपनी सम्पत्ति उनके बीच बाँट दे। यही बात हमारे देश में भी हुई है। आक्रमणकारियों को भी वही अधिकार है जो धरती के बच्चे को है।"

This is one way of thinking. Perhaps, Golwalkarji might think that non-Hindus are *akramanakaris*, aggressors, and that they are not citizens or sons of the soil. This tendency has to be curbed. All are equal in our secular country. We have adopted not only democracy but also secularism and we have to promote secular ideas. If anybody preaches that somebody is not the son of the soil and requires Indianization, that tendency has to be stopped. For this, I think, a Bill to curb such activities is quite necessary.

17 hrs.

The Government had already been thinking about it. It is not that, as Mr. Shashi Bhushan put it, there is a long delay about it. As long back as in 1970, the Government brought forth a Bill, the Criminal Law (Second Amendment) Bill, 1970. But at the stage of introduction itself, we had to meet with opposition. I remember, when the Bill was being introduced in this House, almost all the Opposition parties opposed it, including the Jana Sangh, the Swatantra Party the C. P. I., the C. P. M. and the Soshit Dal. All the Opposition parties opposed it. I am reminded of a story of five blind men who began to describe an elephant. The man who touched its leg said that the elephant was just like a tree trunk. So, all the five or six Opposition parties...

SHRI SAMAR GUHA : He will be doing injustice to us by simply saying that. The Bill was framed in such a manner that it created a suspicion in our minds that even political parties may come under the purview of the Bill. So, it was the faulty language of the Bill which was responsible for that.

SHRI F. H. MOHSIN : I remember, Shri Samar Guha also opposed it. That was only a suspicion in the minds of the opposition parties. The C. P. I. thought that the Bill would curb their trade union movement. Some other parties thought that the Fundamental Rights were under the risk of being taken away or curtailed. That is how the Opposition parties thought. But it was not really so. In spite of the fact that the Minister of State, Mr. Mirdha made a statement that the Bill was not intended to curb the lawful organisations or the trade union movement, still there was opposition to it.

In the Criminal Law (Second Amend-

[Shri F H Mohsin]

ment) Bill, 1970, it was proposed to widen the definition of "unlawful associations' in the Prevention of Unlawful Activities Act, 1967 and to bring within it also association which has for its object any activity which is unlawful under Section 153A of the Indian Penal Code or which encourages or aids persons to undertake such activity or of which the members undertake such an activity

The intentions of the Bill were quite similar Not only that They had a wider scope to cover organisations or associations also within the purview of this Act But, unfortunately that could not be introduced Had the Bill been passed, the Central Government would have been empowered to declare as an unlawful association whose activities are prejudicial to the maintenance of communal harmony and their activities could have been stopped under the law

It is not as if we have dropped that idea Even now, we are thinking on those lines to bring back such a legislation as soon as possible We agree with the basic principles behind the Bill which has been brought forward by Shrimati Subhadra Joshi I must thank her for creating an atmosphere in this House and I have seen the House is now favourable to such a legislation Even the Opposition may also come forward and support such a measure if it is brought before the House

As I pointed our earlier, in 1970, when that Bill was being introduced, there was some apprehension in the minds of the Opposition parties that it might create harm to some of the secular organisations or some of the trade union organisations if it were really passed So, from that angle, the Bill is being processed and I am confident that we will be able to have a better Bill embodying the sentiments that have been expressed in this House to see that such of the communal organisations are curbed, and the drills that take place which create terror among the other sections of the people will have to be put an end to Such of the organisations which engage or which are engaged in preaching communal hatred and thereby come in the way of progress of the country will have to be punished.

Sir, I would appeal to Shrimati Subhadra Joshi to withdraw this Bill as the Government has accepted the principle, the spirit, behind this Bill I can also assure her that as far as possible, we will try to bring such a measure during this session itself if something else does not happen However, I am grateful to Shrimati Subhadra Joshi for having brought forward this Bill and created a good atmosphere in favour of the Bill

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) सभापति जी, इस सदन के सभासदो ने अपने बहुत सारे विचार इस कानून के बारे मे रखे। कुछ गलतफहमियाँ जरूर हुई और कुछ गलतफहमी का कारण तो यह रहा कि पिछली बार जब मैने इस बिल को विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत किया तो मैने कुछ सगठनो को, जिनकी तरफ मेरा इशारा था बिल को कवर करने का, उनका नाम नही लिया तो उस कारण एक तो गलतफहमी यह हो गई कि जिस सस्था को मेरे दिमाग मे थी उसको समझा नही और श्री जगन्नाथ राव जोशी जी ने शायद जनसघ को उस लाइन मे समझ लिया कि शायद प्रतिबध लगाने के लिए जनसघ की तरफ मेरा इशारा है और वह ऐसा शायद इसलिए समझे कि अपनी बात-चीत के दौरान मे मैने उनके नेता का जो भाषण हुआ था बगला देश के बारे मे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि बिल पेश करते हुए जनसघ ऐसी जमात पर प्रतिबध लगाने की मशा मेरे दिमाग मे नही थी क्योकि उसका मुकाबला तो हम वैसे ही कर लेते हैं और कर सकते है।

श्री आर० वी० बड़े : सभापति जी, सदन मे कोरम नही है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है—कोरम हो गया है अब माननीय सदस्या अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : तो सभापति महोदय, कहने का मतलब यह था कि मैंने जिन

पुस्तकों को उस दिन कोट किया था, जिन्हें अभी मिनिस्टर साहब ने भी दोहराया, तो मेरा इशारा जनसंघ की तरफ नहीं था। मेरा इशारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ जरूर था, पर श्री जगन्नाथराव जोशी ने भी कंफ्यूज किया। इस बात की मुझे वैसे खुशी भी है कि आर० एस० एस० और जनसंघ में शायद वे फर्क अब कम कहने लग गये हैं या समझने लग गये है क्योंकि उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तो हमारी संस्था के लोगों ने यहां पर ट्रेफिक के सिपाहियों का काम किया। मैं उनसे अदब से अर्ज करना चाहती हूँ, उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वे जनसंघ के लोग नही थे, वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग थे, जिन्होंने ट्राफिक पुलिस का काम किया और जिनको यह काम दिया गया था वे जनसंघ के लोग नही थे· · ·(व्यवधान) आप उनको अपनी संस्था का समझते हैं, हम तो समझते ही थे पर आपने माना इस बात की खुशी जरूर है। तो आज मैं उन चीजों को दोहराना नही चाहती हालाँकि हमारे एक दो और साथियों ने कहा, श्री वेंकटासुब्बया ने कहा कि कास्ट वगैरह भी आनी चाहिए, पर वह तो बिल में पहले से मौजूद है और श्री विभूति मिश्र ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से काम नही चलता, आदमी बदलना चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो इन्डियन पीनेल कोड मे किसी भी कानून की आवश्यकता न होगी। आदमी तो बदलना ही चाहिए पर कानून भी मदद करता है और उसको हम इगनोर नहीं कर सकते हैं। उसको भी हमें करना चाहिए। तो आज जबकि होम मिनिस्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वह बहुत शीघ्र इस किस्म के बिल को और इससे बेहतर बिल को सदन के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सेशन के बीच में ही वह आए तो उसके बाद मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहती हूँ पर उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ ताकि इस बात को वे भूल न जायें कि हम उन जमातों पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं—वे बिल बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखें—जो सिर्फ कम्युनल ही नहीं हैं बल्कि पेरा-मिलिट्री जमातें हैं, फासिस्ट जमातें हैं और जो जमूहरियत के खिलाफ है। वे लोकतंत्र के खिलाफ हैं, समाजवाद के खिलाफ हैं और कोई भी उन जमातों के सामने आता नही और मैं उन्हीं साहब को फिर कोट करना चाहता हूँ कि गुरु गोलवल्कर जी हिटलर के बड़े भारी एडमाइरर हैं। · · ·(व्यवधान)· · · सभापति महोदय, उन्होंने अपनी किताब "अवर नेशनहुड डिफाइंड" जो 1929 मे छपी थी और उसके बाद कई बार छप चुकी है, उसमें उन्होंने लिखा है :

"German race pride has now become the topic of the day. To keep up the purity of the race and its culture, Germany shocked the world by her purging the country of the semantic races—the Jews. Race pride at its highest has been manifested here. Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by."

अगर आज भी ऐसी बातें हमको सिखानी हैं तो मै समझती हूँ कि देश के लिये खतरा है।

आखिर में, सभापति महोदय, अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सिर्फ दो नेताओं का, जिनका कि अक्सर जिक्र करते हैं, यहाँ पर जरूर जिक्र कर देना चाहती हूँ। एक तो है सरदार पटेल, जो कि हमारे होम मिनिस्टर थे। उनकी इस किस्म की संस्थाओं के बारे में क्या राय थी, उसको मैं होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहती हूँ और इसलिए भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जगन्नाथ राव जोशी ने कहा— "हिन्दुओं का संगठन करना क्या फिरकापरस्ती है?" उसी से मिलती-जुलती बात का उत्तर सरदार पटेल ने दिया है। उन्होंने लिखा है :

"Organising the Hindus and helping them is one thing, but going for revenge for its sufferings on innocent and help-

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

less men, women and children is quite another thing.

Apart from this, their opposition to Congress..."

उन्होंने कहा है :

"All their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organise for their protection. As a final result of that poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhiji. Even an iota of the sympathy of Government or of the people no more remained for R S.S. In fact oppostion grew. Opposition turned more severe, when the R. S. S. men expressed joy and distributed sweets after Gandhiji's death."

यह सरदार पटेल ने कहा था । आखिर मैं पं० जवाहरलाल नेहरू की बात आपसे कहना चाहती हूँ । सरदार पटेल के वक्त में एक दफा आर० एस० एम० पर बैन लगाया गया था । उस वक्त श्री गोलवल्कर ने पंडित जी को एक पत्र लिखा था । उनके पत्र के जवाब में नेहरू जी ने जो पत्र लिखवाया था, जिसको उनके सेक्रेट्री ने लिखा था, उसमें कहा था :

"He wants me to inform you also that he is not prepared to accept your statement that the R. S. S. are free from blame or that the charges against them are without foundation. Government have a great deal of evidence in their possession to show that the R. S. S. were engaged in activities which were anti-national and prejudicial from the point of view of public good. Just before the banning of the R. S. S. he is informed that the U. P. Government sent you a note on some of the evidence they have collected about such activities of the R. S. S. in U. P. Other provinces have also such evidence in their possession. Even after the ban we have received information about the undesirable activities of old members of the R. S. S. This information continues to come to us even now. You will appreciate that in view of this, Government cannot consider the R. S. S. as a harmless organisation from the public point of view. It is Government's policy to root out communalism from this country and, therefore, not to encourage any movement which aims at the encouragement of the communal outlook. The approach of R. S. S. as well as their activities have been definitely communal. What sometimes their leaders say is not borne out by what is done and there is a great disparity between outward precept and real practice."

मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ कि यह उस वक्त ओपीनियन थी जब प्रतिबंध लगा था । आज मैं उस जमात पर प्रतिबंध लगाने की बात नही कह रही हूँ लेकिन अगर इस किस्म की कोई जमात हो, जैसी मैंने अपने बिल में रखने की कोशिश की है, चाहे वह धर्म की बिना पर हो चाहे भाषा की बिना पर हो या पैदाइश की बिना पर हो, इस किस्म की ऐक्टिविटीज में हिस्सा लेती हो तो उन पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए ।

अभी हमारे एक साथी एक किताब से कोट कर रहे थे तब श्री शशिभूषण ने कहा कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए । पर अभी तक प्रतिबंध नही लग पाया है । वह भाषणों की कोई किताब है । क्या होम मिनिस्टर साहब नहीं जानते हैं कि आज भी कुछ जमातें हैं जो चाकू चलाना सिखाती हैं, लाठी चलाना सिखलाती हैं और कहती हैं कि फलां लोग देश के रहने वाले नहीं हैं, इनको देश से निकाल दो ? इसके लिए किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं । मैं कहना चाहती हूँ कि इन पर रोक लगाने के लिए कानून क्यों न हो ? जब हमारा संविधान इतनी दफे बदला जा सकता है तो देश के करोड़ों लोगों की रक्षा के लिए क्या संविधान में एक और तबदीली नहीं आ सकती है ? इसलिये सरकार आज की आवश्यकता को समझे । हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसको

महसूस किया इसके लिए उनको धन्यवाद है। चूंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका कानून बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा तो यह सही हो सकता है क्योंकि उनके डिस्पोजल पर पूरी मिनिस्ट्री है। मैं यकीन करती हूँ कि वह जल्दी इस तरह के कानून को यहाँ लाकर पास करायेंगे।

होम मिनिस्टिर साहब इस बात को भी याद रक्खें कि उनकी और बाकी नेताओं की जो ट्रेनिंग है वह गाँधी जी और नेहरू जी के चरणो में हुई है लेकिन दफ्तरों में जो हुकूमत करते हैं वह शाखाओ में परेड करते करते कुर्सियों पर जा बैठे है। कहीं ऐसा न हो कि उनका बिल बने ही नहीं। कभी होम मिनिस्ट्री मे अटका रहे, कभी ला मिनिस्ट्री मे अटका रहे। वह उसको मेहरबानी करके जल्दी लाने की कोशिश करें क्योंकि इनकी इस तरह की हरकतो से जनता का दिमाग खराब हो रहा है। इन हरकतों के बढ़ने से जनता परेशान हो रही है। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि डेस्परेट होकर वह नामुनासिब तरीके इस्तेमाल करने लगें। इसलिए मंत्री महोदय का बिल जल्दी आना चाहिए।

मंत्री महोदय के आश्वासन को सामने रखते हुए मैं अपने बिल को वापस लेने के लिए तैयार हूँ।

I beg to move :

"That leave be granted to withdraw the Bill."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill."

The Motion was adopted.

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI : I withdraw the Bill.

17.21 hrs.

FILM INDUSTRY WORKERS BILL

By Shri S. C. Samanta

SHRI S C. SAMANTA (Tamluk) : As you know, Sir, I am not keeping good health and my docter has advised me to put less strain on my throat and body. So, I had applied to the Hon. Speaker to allow me to nominate one of my colleagues to pilot the Bill standing in my name. I have nominated Shri R. S. Pandey to pilot the Bill. I think you would have received his permission, and I hope you will kindly allow me to nominate Shri R. S. Pandey to pilot the Bill

MR. CHAIRMAN : All right. Shri R. S. Pandey may now move the Bill for consideration.

SHRI R. S PANDEY (Rajanandgaon) : I beg to move :

"That the Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry, be taken into consideration."

दादा समन्त ने जो फिल्म इंडस्ट्री बिल 1972 उपस्थित करने का मुझे अधिकार दिया है इसका जो उद्देश्य है, वह बहुत ही स्पष्ट है। बिल लाने का परम उद्देश्य यह रहा है कि जहाँ एक तरफ बड़ी तड़क भड़क है, बड़ी बड़ी कारें हैं, हीरो हीरोइंज है, सुन्दर बंगले है, ब्लैक का, चोरी का बड़ा पैसा है, बाहर विदेशों मे करोड़ों रुपया इन हीरो हीरोइंज का जमा है, जहां बड़ी जिन्दगी की रंगीनियां है, जुआ और रेसिस का बोलबाला है, वहां पर दस लाख आदमियों की सिसकती हुई जिन्दगियों का भी सवाल है। ये दस लाख लोग कौन है ? इस देश में फिल्म उद्योग का जिस तरह विस्तार हुआ है, उसको आप देंखे। मनोरंजन का एक मात्र साधन सिनेमा होने के कारण प्रायः सभी लोग यहां तक कि देहात के लोग भी निकट के छोटे छोटे नगरों में जहां सिनेमाघर हैं, जा कर सिनेमा देखते हैं।